

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9255 /

दिनांक :-

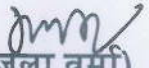
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पुजारी ठाकुर सिंह [लिंक न. 9255] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, धौलपुर - [1104] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27/01/2016 से 30/06/2016 तक * दिवस

कुल 156 दिवस

उक्त कुल 156 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री पुजारी ठाकुर सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9255 / 226

दिनांक :- 5-6-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, धौलपुर
2. कोषाधिकारी धौलपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री पुजारी ठाकुर सिंह [9255] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, धौलपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)